राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 50/2021
तारीख दायरा :– 02.09.2020

वादीगण:–

ग्रामवासीगण गुडा दुर्जन तहसील देसूरी के प्रतिनिधिगण :–

1. उदयसिंह पुत्र शिवनाथसिंह
2. शैतानसिंह पुत्र पेपसिंहजी
3. शैतानसिंह पुत्र मोतीसिंहजी जातिगण–राजपूत
4. मांगूसिंह पुत्र तेजसिंह जाति–रावणा राजपूत
5. पोमाराम पुत्र खुमाराजी जाति– मेघवाल

समस्त निवासीगण– गुडा दुर्जन, तहसील–देसूरी
जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. गजाराम पुत्र खंगार
2. नारिया पुत्र खंगार
3. ककीया(कंकुडी) पत्नि खंगार जाति–मेघवाल
   निवासी–गुडा दुर्जन, तहसील–देसूरी
4. लक्ष्मण पुत्र जोगाराम जाति–मेघवाल, निवासी– आशापुरा नगर, खोडिया बालाजी मंदिर के पीछे, पाली
5. अमराराम पुत्र लादाराम जाति –मेघवाल, निवासी– आंकोली तहसील–जालोर
6. श्रवण पुत्र ओटसिंह जाति–राजपूत निवासी–गुडा दुर्जन तहसील–देसूरी
7. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार,देसूरी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

उपस्थिति:–

1. श्री सुधीर कुमार श्रीमाली अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. श्री दिनेश कुमार माली अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 01 व 06 की ओर से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक:– 20/7/2022

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम गुडा दुर्जन तहसील देसूरी (पाली)

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

के पुराने खसरा नम्बर 113/44 मी. रकबा 11 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 121 रकबा 0.0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1400 हेक्टर, खसरा नम्बर 123 रकबा 1.92 हेक्टर कुल रकबा 2.1200 हेक्टर भूमि विद्यमान है।

वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नम्बर 44 रकबा 22 बीघा 3 बिस्वा में से 11 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता/पति स्व. खंगार पुत्र मनाजी भांवी गुडा दुर्जन को आवंटित हुई थी। प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2021 से 2024, सम्वत् 2033 से 2036 तथा नामान्तरण की प्रतियां संलग्न है।

दौराने सेटलमेन्ट के सेटलमेन्ट विभाग ने पुराने खसरा नम्बर 113/44 रकबा 11 बीघा के नये खसरा नम्बर 121, 122, 123 कुल रकबा 1.9200 हेक्टर भूमि यानि सवा तेरह बीघा भूमि अर्थात सवा दो बीघा बढाकर खातेदारी की स्व. खंगार के नाम गलत दर्ज कर दी उक्त भूमि आबादी भूमि के पास स्थित है।

सेटलमेन्ट विभाग के गलत इन्द्राज के संबंध में जिला कलेक्टर महोदय पाली को वादीगण ने दिनांक 16.06.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर भू-अभिलेख निरीक्षक इत्यादि ने मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

मृत खंगार पुत्र मना के वारिसान प्रतिवादी संख्या 01 से 03 द्वारा खसरा नम्बर 121, 122 रकबा क्रमशः 0.0600, 0.1400 कुल रकबा 0.2000 हेक्टर भूमि को प्रतिवादी संख्या 05 को दिनांक 22.10.2014 को बेचान कर दी तथा प्रतिवादी संख्या 05 ने उक्त भूमि को आगे प्रतिवादी संख्या 04 को दिनांक 18.09.2018 को बेनामी सव्यवहार के रूप में बेचान किया है जो बाहर रहता है। जिस भूमि पर श्रवणसिंह पुत्र ओटसिंह राजपूत गुडा दुर्जनसिंह कब्जा करना चाहता है। उक्त एक बीघा भूमि गे.मु. आबादी खसरा नम्बर 116, 118, 119 के सटते ही स्थित है। जिससे तमाम ग्रामवासियों का हक निहित है। समस्त ग्रामवासीगण को पक्षकार बनाना सम्भव नहीं है जिससे वादीगण की ओर से प्रतिनिधित्व वाद व साथ में प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. का पेश है।

वादी ने उपरेक्तानुसार विवादित आराजी ग्राम गुडा दुर्जन तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 121 रकबा 0.0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1400 हेक्टर भूमि वादीगण समस्त ग्रामवासी गुडा दुर्जन की घोषित किये जाने हेतु एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाये जाने हेतु वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 1[illegible]सी. का इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गुडा [illegible] 122 की आराजी निर्विवादित प्रतिवादी संख्या 05 के खातेदारी की होना [illegible] स्वीकृत है। इसलिये प्रतिवादी के खातेदारी हक अधिकार और कब्जा की भूमि में वादीगण का कोई व्यक्तिगत हक अधिकार नहीं होने से धारा 88, 89, 92ए आर.टी.एक्ट. का पारिपोषणीय नही है।

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(उप. ख. अ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण के वाद के मूल अभिवचन आबादी भूमि होने को लेकर होने से वादी के तथ्यों से आबादी भूमि से संबंधित सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को धारा 207 आर.टी.एक्ट के प्रावधानों से नहीं है। जिससे वादी के वाद तथ्यों से आबादी भूमि से सबंधित वाद विधि वर्जित होकर इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे है। इसलिये वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

वादीगण ने वादग्रस्त आराजी को स्थानीय संस्था के नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहा है, जबकि स्थानीय संस्था वाद में पक्षकार नहीं होने से वादीगण का वाद आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज योग्य है।

वादीगण द्वारा चाहे गये अनुतोष तो प्रथम दृष्टया ही यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण का कोई हक अधिकार नहीं है और माननीय न्यायालय द्वारा आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. में वाद दर्ज करने की भी अनुमति नहीं दी है, जिससे भी वादीगण का वाद विधि वर्जित होकर खारिज योग्य है।

वादीगण के तथ्यों से वाद आबादी भूमि को लेकर है आबादी भूमि को ग्रा पंचायत द्वारा संधारित किया जाता है। आम जनता का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता है। जिससे वादीगण को प्रतिवादी की खातेदारी भूमि के संबंध में वाद पेश करने का कोई वाद हेतुक ही उत्पन्न नहीं होता है, जिससे वाद हेतुक के अभाव में खारिज योग्य है।

वादीगण इस न्यायालय से किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी ही नहीं है तो ऐसे वाद को चलाना ही निरर्थक है। विशेषकर तब जब वादीगण स्वयं अपने वाद में इस आशय को अनुतोष लेकर आना है कि वादग्रस्त भूमि को स्थानीय संस्था को सुपुर्द की जावें।

वादीगण ने धारा 88, 89, 92ए आर.टी.एक्ट में वाद प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी के खातेदारी का होना स्वीकार किया गया है जिससे रेकर्ड दुरूस्ती करने के संबंध में उक्त धारा के तहत कोई प्रावधान नहीं होने से वाद वादीगण वाद हेतुक के अभाव मे खारिज योग्य है।

वादीगण उदयसिंह, शैतानसिंह, मांगूसिंह गैर अनुसूचित जाति के सदस्य है जो प्रतिवादी अनुसूचित जाति के खातेदार की कृषि भूमि को डरा धमकाकर हडप करना चाहते है। वादीगण ने जानबूझकर गलत व मिथ्या आधारों पर झूठा वाद पेश किया गया है। जो अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने उपरोक्तानुसार प्रस्तुत जवाब वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:46:37 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब अधिवक्ता द्वारा बिन्दुवार प्रस्तुत कर जाहिर किया कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 01 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादीगण ने राजस्व भूमि (वादग्रस्त आराजी) से संबंधित सेटलमेन्ट विभाग ने बिना

पेज लगातार 04 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (4) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 50/21 अनवान उदयसिंह व अन्य बनाम गजाराम व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

किसी अधिकारिता के क्षेत्रफल गलत रूप से बढा देने से संबंधित है। उक्त इन्द्राज को इस न्यायालय के समक्ष ही चुनौती दी जा सकती है। जिससे यह तथ्य गलत है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 05 की होना स्वीकार होने के तथ्य मानने योग्य नहीं है।

पद संख्या 02 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। यह गलत है कि वादीगण का वाद आबादी भूमि को लेकर हो। यह भी गलत है कि इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही हो। वादग्रस्त आराजी आज भी राजस्व रिकॉर्ड में रेवेन्यु के रूप में दर्ज है। वादीगण द्वारा पूर्व में किये गये बेचान दस्तावेज में भी कृषि भूमि का ही वर्णन है जिससे भी प्रतिवादी अपने तथ्यो से **Estopped** है। कोई कृषि भूमि मात्र आबादी के पास होने मात्र से न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होता है। जिससे यह प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

यह गलत है कि स्थानीय निकाय के नाम दर्ज करने का वादपत्र में अनुतोष हो। पद संख्या 04 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रतिवादीगण के नाम सेटलमेन्ट विभाग ने गलत भूमि वादग्रस्त आराजी दर्ज की है तो निःसंदेह ही समस्त ग्रामवासीगणों को हक अधिकार प्रभावित होता है। जिससे वादीगण का वाद विधिवत है। वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. का सही प्रस्तुत किया है। जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

सेटलमेन्ट विभाग के गलत इन्द्राज से वादीगण ग्रामवासीगण का हक अधिकार वाद पेश करने का उत्पन्न होता है। जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

पूर्व में जवाब पदो में स्पष्टीकरण दिया जा चुका है। वादीगण सही व विधिक वाद पेश किया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण की वादग्रस्त आराजी के संबंध में सेटलमेन्ट विभाग ने गलत इन्द्राज होना वर्णित करते हुये वादपत्र पेश किया है। जिससे वाद हेतुक सही व विधिक है जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है।

यह गलत है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण को कोई धमकिया दी हो या डराया हो। वादीगण ने कानूनी कार्यवाही की है।

अधिवक्ता वादीगण ने प्रतिवादी अधिवक्तागण के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने कथन किया गया।

वादीगण द्वार वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया है। वादीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम गुडा दुर्जन की सार्वजनिक [illegible] पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व नियमानुसार प्रतिनिधित्व वाद में लोक विज्ञापन की आ[illegible] होती है। वादीगण को वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करते हुए वाद के [illegible] में लोक विज्ञापन की अनुमति प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

क्रमश (5) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी मुकदमा नम्बर 50/21 अनवान उदयसिंह व अन्य बनाम गजाराम व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188,92ए आर.टी.एक्ट प्रा.पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. का जवाब अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कर बताया गया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित अनुसार प्रार्थी वादीगण का कृषि भूमि वादग्रस्त में किसी से हित नहीं है ना ही कृषि भूमि में आम जनता या उसके प्रतिनिधि घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त भूमि गुडा दुर्जन की सार्वजनिक भूमि नहीं है। वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादी के खातेदारी की भूमि है। जिससे वादीगण का कोई हक अधिकार नही होने से वादीगण को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व इस न्यायालय द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। जवाब स्वीकार कर वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. एवं आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. पर अभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण ने प्रतिवादीगणों के खिलाफ यह अनुतोष चाहा कि प्रतिवादीगणों को नाम हटाया जाकर विवादित भूमि स्थानीय संस्था को सुपुर्द कि जाये। समस्त ग्रामवासी गुडा दुर्जन की (88 के तहत) घोषणा की जाये अधिवक्ता की आपत्ति है कि वादी को दावा लगाने का हक अधिकार नहीं है। अतः Cause of action किसी प्रकार से प्रतिवादीगणों के खिलाफ नहीं है। धारा 88 मुख्य अनुतोष है। खातेदारी घोषणा को दावा वादीगणों की तरफ से नहीं है। दावे की प्लेडींग में कथन किया कि इस भूमि पर आम जनता का हक अधिकार है। फिर कथन किया कि संस्था को दर्ज किया जाये। खातेदारी हक अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को ही दिये जा सकते है। समस्त ग्रामवासियों का कोई हक नहीं हो सकता है। या तो तहसीलदार(भूमिधारी) दावा करते है तो रिलीफ दे सकते थे या कोई संस्था दावा करती। यदि आबादी है तो ग्राम पंचायत एवं सिवायचक है तो तहसीलदार संस्था है। अतः वादी को कोई cause of action उत्पन्न नहीं होता है। वादी का वाद चलाने योग्य नहीं है।

पैरा संख्या 3 के अनुसार आबादी की भूमि खंगार के खाते में दर्ज है। आबादी भूमि ग्राम पंचायत की होती तो ग्राम पंचायत दावा लाती। दावा लाने हेतु वादी सक्षम नही है। वादी ने ग्राम पंचायत को पक्षकार नही बनाया है बहस में अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है कि पैरा संख्या 4,5,6 में भी आबादी भूमि होना वादीगण ने माना है।

वादी ने वाद प्रस्तुत करने के पूर्व प्रार्थना–पत्र आदेश 01 नियम 8 सी.पी.सी के तहत् न्यायालय से अनुमति प्राप्त नही की गई। वादी ... के साथ प्रार्थना–पत्र 01–8 लगाकर यह वर्णित किया कि सार्वजनिक ... वाद पेश होता है लेकिन न्यायालय ने वाद में इस प्रकार की अनुमति नही दी तो यह माना जायेगा कि वादीगणों के द्वारा वाद पेश करने के पूर्व न्यायालय द्वारा अनुमति नही दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अधिवक्ता प्रतिवादीगण का कथन है कि पूरे दावे में कब्जा काश्त वादीगणों का वर्णित नही है। अतः वादी को अपना अधिकार बताना पडेगा एवं प्रतिवादी की जमीन बढी तो किस खसरे से बढी एवं कम हुई तो कहॉ से हुई। वाद पत्र में वर्णित नही है। 01 बीघा भूमि आबादी से कम होना बताया । आबादी भूमि को क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय का नहीं है। आबादी भूमि बतायी परन्तु ग्राम पंचायत को पक्षकार नहीं बनाया गया। cause of action arise नहीं होता है।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्ट्यांत पेश किये

1. आर.आर.डी. 1995 आम जनता थडोती बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड अन्य –(91) पेज नम्बर 278–280 निर्णय दिनांक 19.08.1994 के अनुसार यह अभि निर्धारित है कि आम जनता को खातेदारी हक अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है।

   अधिवक्ता प्रतिवादीगण का तर्क है कि अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादी का दावा खारिज किया जाए।

2. raj heigh court of 2014 (3) civil court cause 244 (राजस्थान) निर्णय दिनांक 10.08.2013 अनित कुमार श्रीवास्तव बनाम मुकेशचन्द्र सक्सेना एण्ड अन्य के अनुसार order 1 rules 8 सी.पी.सी. की पालना नहीं अभिनिर्धारित होने से cause of action के अभाव में वाद खारिज किया जावें।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. में दावे की प्लेडिंग देखी जाएगी एवं यदि कोई अनियमितता हो तो दावा खारिज हो सकता है। दावा के अनुसार वाद का पैरा संख्या 02 वर्णित किया है खसरा नम्बर 113/44 से मिलान क्षेत्रफल अनुसार केवल 123 बना है। एवं खसरा नम्बर 121 रकबा 0.0600 हेक्टर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.1400 हेक्टर कुल रकबा 0.2000 हेक्टर भूमि सेटलमेन्ट के दौरान गलत प्रतिवादीगणों के खाते में दर्ज है। सेटलमेन्ट ने तीनों खसरे 121, 122, 123 कुल रकबा 2.12 बना। तीनों प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 121, 122 विवादित है। प्रतिवादीगणों के नाम गलत दर्ज जो कि प्रतिवादी संख्या 04 व 05 को बेचान किया गया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2020 अनुसार जमीन अधिक दर्ज है। अवैध निर्माण है। अतः वादीगणों ने दावा पेश किया है। राजस्व रिकॉर्ड में रेवेन्यु दर्ज है। दावे में कहीं भी आबादी वर्णित नहीं है या आबादी बढी या कम हुई। ये कहीं पर वर्णित नहीं किया। जैसा कि प्रतिवा[illegible] तर्कों में कथन किया। पैरा संख्या 06 में आबादी से सटती ब[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

सेटलमेन्ट के दौरान भूल हुई। अ[illegible] राजस्व न्यायाल[illegible] को कोई अधिकार है। जमीन कम या ज्यादा हुई या नही, इस संबंध में जवाब दावा पे[illegible] करे एवं तनकियात बनाने पर ही निर्णय संभव है। ग्रामवासियों का हित निहित होने से प्रतिनिधित्व वाद आदेश 01 नियम

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

08 के तहत पेश किया है। प्रतिनिधित्व वाद पेश करता है, आदेश 01 नियम 08 का जवाब दिया है एवं आपत्ति करी है आदेश 01 नियम 08 प्रार्थना पत्र निस्तारित होगा। उक्त प्रार्थना पत्र कभी भी Decide किया जा सकता है। cause of action स्पष्ट रूप से उत्पन्न है।

Rulling 1995 आर.आर.डी. प्रतिवादी द्वारा पेश की गई है। आम जनता दावा पेश कर सकती है। Rulling पेश करना चाहा 11(i) में (iii) में अन्य दादसी चाही। न्यायालय को पॉवर है कि वह पंचायत या राजस्व के नाम दर्ज कर सकते है। प्रतिवादी संख्या 06 निमार्ण कार्य कर रहा है। ग्रामवासी को दावा पेश करने का अधिकार है। न्यायालय जिसे चाहे उसे सुपुर्द करे 209 में पॉवर है। आबादी भूमि कम या बढाने की प्लेडिंग वादी द्वारा कहीं नहीं ली। प्लीडिंग पेश करनी चाही है। आदेश 01 नियम 08 के तहत अनुमति दी जानी आवश्यक है। अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिंक दृष्टान्त पेश किये गये :-

1. आर.आर.डी–1988 पेज 654 निर्णय दिनांक 30.08.1988
2. आर.आर.टी–2006(1) पेज 50 उच्च न्यायालय निर्णय 11.03.2005
3. आर.आर.टी–2017(2) पेज 1174 राज. उच्च न्यायलय जयपुर बैंच निर्णय दिनांक 02.06.2017
4. आर.आर.टी–2012(2) पेज 1371 से 1372 राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर निर्णय दिनांक 13.08.2012
5. आर.आर.टी–2009–10 (supp.) पेज 337 निर्णय दिनांक 03.05.2010 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
6. आर.आर.टी.–2011(2) पेज 773 निर्णय दिनांक 22.03.2011 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
7. DNJ-2016 (रेवेन्य) पेज 897 निर्णय दिनांक 18.07.2016 राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
8. आर.आर.टी–2006(1) पेज 269 उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 05.12.2005
9. आर.आर.टी–2006(1) पेज 272 उच्च न्यायालय दिनांक 02.12.2005
10. आर.आर.टी–2012(2) पेज 927 राज. उच्च न्यायालय जयपुर बैंच निर्णय दिनांक 29.02.2012
11. आर.आर.टी–2016(2) पेज 1259 राज. उच्च न्यायालय निर्णय दिनांक 22.08.2016
12. आर.आर.टी–2003(1) पेज 699 निर्णय दिनांक 28.11.2002 राजस्व मण्डल राज. अजमेर
13. DNJ-2016 (1) पेज 88 राज. उच्च न्यायालय दिनांक 07.12.2005
14. DNJ-2008 (2) पेज 1035 राज. उच्च न्यायालय जयपुर बैंच निर्णय दिनांक 02.04.2008

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

15. आर.आर.टी–2011(2) पेज 1003 निर्णय दिनांक 02.06.2011 राजस्व मण्डल राज. अजमेर

16. DNJ (राज.)–2009 पेज 231 निर्णय दिनांक 23.04.2008 राज. उच्च न्यायालय जयपुर बैंच

17. DNJ (राज.)–2009 पेज 230 निर्णय दिनांक 12.05.2008 राज. उच्च न्यायालय

प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी रिबुटल बहस में पुनः तर्क प्रस्तुत किया कि सेटलमेन्ट के त्रुटि के तहत राजस्व न्यायालय को अधिकार है। वादी द्वारा 136 तहत कोई अनुतोष या preyer नहीं है। प्लेडिंग के तहत कोई तर्क नहीं देखा जायेगा। जमीन कम हुई तो किसकी, यह तो वर्णित करना पडेगा, अनुसूचित जाति की जमीन पर सामान्य वर्ग द्वारा कब्जा बताया मौका पर्चा अनुसार। लेकिन एस.सी. के उन व्यक्तियों द्वारा कहीं भी दावा या आपत्तिया पेश नहीं की। रकबा 0.20 हेक्टर वादी हेक्टर की कम नहीं हुई। किसकी कम हुई यह वर्णित नहीं।

मौका रिपोर्ट अनुसार यदि प्रार्थी को कोई हक है तो दावा पेश करे। मूल प्रश्न यह है कि वादी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा सकता है या नहीं। आदेश 01 नियम 08 के तहत प्रार्थना पत्र देना वादी द्वारा वर्णित किया है आदेश 01 नियम 08 के तहत न्यायालय के अनुमति से ही वाद लाया जा सकता है जब न्यायालय से अनुमति ही नहीं ली। अतः वादी का वाद नहीं चल सकता। दावा खारिज किया जाये।

सवा 02 बीघा भूमि अधिक दर्ज होना बताया परन्तु किस खसरे में से दर्ज हुआ यह अवगत नहीं करवाया गया है। यदि प्रतिवादी की नहीं है तो फिर किसकी है यह अवगत नहीं करवाया गया है। प्रतिवादी का कब्जा नहीं तो किसका कब्जा हुआ साथ ही स्वयं वादी उसे आबादी के उपयोग की होना स्वीकार कर रहा है।

वाद पत्र के अवलोकन एवं बहस समायत के पश्चात यह प्रतीत होता है कि वादी स्वयं के अपने वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादिगण कों वादग्राम गुडा दुर्जन के सार्वजनिक हित का है एवं ग्रामवासीगण का हितविहीत है। सार्वजनिक सम्पत्ति होने पर नियमानुसार न्यायालय की अनुमत्ति से वाद पेश होता है। न्यायालय ने उक्तवाद में इस प्रकार की कोई अनुमत्ति वाद पेश करने के पूर्व वादीगण को दी जाना प्रतीत नही होता है। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने जबाव में भी इस तथ्य का उल्लेख है। कि वादीगण को वाद प्रस्तुत करने से पूर्व न्यायालय हाजा द्वारा अनुमति नहीं ली गई [illegible] तर्क भी अपनी बहस में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10 [illegible] 2013–2014 (3) civil court case पेज 244 का प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत में अभिनिर्धारित अनुसार वाद में आदेश 01 नियम 08 की पालना नहीं करने पर वाद खारिज किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 09 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियक 08 सी.पी.सी. खारिज किया जाता है। वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी सी. पर उक्त पक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मय राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। साथ ही प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का भी गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा निष्कर्ष है कि वादपत्र का विचारण करने की अधिकारिता को प्रश्नगत करने संबंध में वादपत्र का नामंजूर किये जाने हेतु निम्नलिखित दशाओं में नियम 11 सी.पी.सी. के तहत नामंजूर किया जायेगा :-

(क) :- जंहा वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख):- जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है। और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय में नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) :- जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पर लिखा गया है। और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) :- जंहा वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ड) :- जहां वाद डप्लीकेट फाईल नहीं किया गया है।

(च) :- जंहा वादी 09 नियम 2 की अनुपालना करने में असमर्थ रहता है।

(छ) :- जहां वादी नियम 9(3) की अनुपालना करने में असमर्थ रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. को उपरोक्त प्रावधानानुसार वाद पत्र का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रथमगत वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। वादीगण प्रश्नगत भूमि के खातेदार नहीं है। वादीगण के वाद का मुख्य तथ्य आबादी भूमि को लेकर है। आबादी भूमि से संबंधित सुनवाई को क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को धारा 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से नहीं है। जिससे यह वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है। वादीगण ने वाद आम जनता (ग्रामवासियों) की ओर से प्रस्तुत कर आराजी स्थानीय संस्था के नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहा है। जबकि प्रार्थीगण का व्यक्तिगत कोई खातेदारी हक अधिकार नहीं होने से, कब्जा काश्त वादीगण का वाद पत्र अनुसार नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस नहीं माना जा सकता एवं स्थानीय संस्था ग्राम पंचायत को भी वादी ने वाद में पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण खातेदार नहीं है। प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि बाबत वाद पेश करने का कोई वाद हेतुक उत्पन्न नहीं होने से वाद वादीगण खारिज योग्य है।

पेज लगातार 10 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

न्यायालय हाजा द्वारा आदेश 01 नियम 08 सी.पी.सी. में वाद दर्ज करने की भी अनुमति नहीं दी गई, जिससे भी वादीगण का वाद विधि वर्जित होने से खारिज योग्य है।

वादी ने विवादित आराजी ग्राम दुर्जन तहसील देसूरी के खसरा नम्बर 121, 122 रकबा क्रमशः 0.0600 हेक्टर, 0.1400 हेक्टर कुल रकबा 0.2000 हेक्टर भूमि वादीगण समस्त ग्रामवासी गुडा दुर्जन की घोषित करने एवं प्रतिवादीगण का नाम हटाने का अनुतोष चाहा गया है, एवं स्थानीय संस्था को सुपुर्द करने की रिलीफ चाही है। साथ ही विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा दखलन्दाजी नहीं करने बाबत निषेधाज्ञा से पाबंद हेतु निवेदन किया है अभिवक्ता प्रतिवीगण द्वारा RRD 1995 राजस्व मण्डल का निर्णय दिनांक 19.08.1994 आम जनता थडौली बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार अभिनिर्धारित है कि प्रस्तुत वाद में आम जनता को खातेदारी हक अधिकार नहीं दिये जा सकते है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दावा खारिज किया जाए।

बहस पर मनन करने पत्रावली के अवलोकन करने, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टातों के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में आम जनता की ओर से की गई कार्यवाही में व्यक्तिगत प्रार्थीगण का कोई भी प्रथमदृष्टया केस नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में न तो खातेदार है, न उनका कब्जा काश्त है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते है। जिससे प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए आर.टी.एक्ट स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है जो खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उपरोक्त परिपेक्ष्य में मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 20/7/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीगण	ब ना म	प्रतिवादीगण
ग्रामवासीगण गुडा दुर्जन तहसील देसूरी के प्रतिनिधिगण :– 1. उदयसिंह पुत्र शिवनाथसिंह 2. शैतानसिंह पुत्र पेपसिंहजी 3. शैतानसिंह पुत्र मोतीसिंहजी जातिगण–राजपूत 4. मांगूसिंह पुत्र तेजसिंह जाति–रावणा राजपूत 5. पोमाराम पुत्र खुमाराजी जाति–मेघवाल समस्त निवासीगण– गुडा दुर्जन, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)		1. गजाराम पुत्र खंगार 2. नारिया पुत्र खंगार 3. ककीया(ककुडी) पत्नि खंगार जाति–मेघवाल निवासी–गुडा दुर्जन, तहसील–देसूरी 4. लक्ष्मण पुत्र जोगाराम जाति–मेघवाल, निवासी– आशापुरा नगर, खोडिया बालाजी मंदिर के पीछे, पाली 5. अमराराम पुत्र लादाराम जाति –मेघवाल, निवासी– आंकोली तहसील–जालोर 6. श्रवण पुत्र ओटसिंह जाति–राजपूत निवासी–गुडा दुर्जन तहसील–देसूरी 7. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार,देसूरी

दावा बाबत 88,89,188,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी

मुकदमा नम्बर :– 50/21

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री सुधीरश्रीमाली मुदई वकील प्रतिवादीगण श्री दिनेश कुमार श्रीमाली मिनजाविब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में आम जनता की ओर से की गई कार्यवाही में व्यक्तिगत प्रार्थीगण का कोई भी प्रथमदृष्टया केस नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि में न तो खातेदार है, न उनका कब्जा काश्त है। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत चस्पा नहीं होते है। जिससे प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से वाद प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण का प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92ए आर.टी.एक्ट स्वीकार करने योग्य प्रतीत नहीं होता है जो खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र [illegible] नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी [illegible] तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
(आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 07 सन् 2022 को जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

सहायक कलेक्टर
(राजलक्ष्मी गहलोत)
(एस.डी.ओ.)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहन फीस गवाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मिजान			स्टाम्प अर्जी स्टाम्प वकालत नामा महनताना वकील खर्चा वाहन फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक मिजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:37 IST
Reason: SelfAttested